संख्या-124/2019/2005/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 मई 2019

विषयः **(धंगड़) DHANGAR अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 में क्रमांक-27 पर (धंगड़) **DHANGAR** जाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। उक्त जाति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अधिकांश व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनके प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक्विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि (धंगड़) **DHANGAR** अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-124/2019/2005(1)/26-3-2019 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।